भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
1089 अतारांकित प्रश्न संख्या
दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जलजनित और वेक्टरजनित रोगों का प्रकोप

1089. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में जलजनित और बेक्टरजनित बीमारियों सहित हाल ही में आई बाढ़ से उत्पन्न जन स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बाढ़ प्रभावित जिलों में निगरानी, शीघ्र पहचान और आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए जिला-वार क्या उपाय किए गए हैं,

(ग) क्या ऐसे जिलों में आवश्यक दवाओं के साथ अतिरिक्त चिकित्सा दल, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की तैनाती की गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(घ) पुनर्वास के दौरान सफ़ाई, पीने के पानी की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहयोग के लिए राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार का समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में बार-बार बाढ़ आने बाले क्षेत्रों में जलवायु-संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों में सुधार के लिए कोई दीर्घकालिक दिशानिर्देश देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाढ़ सहित सभी आपदाओं के जन स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव की गहन निगरानी करता है। बाढ़ के दौरान जिन प्रकोप-संभावित रोगों की निगरानी की जा रही है, उनमें जलजनित रोग जैसे अतिसार रोग, हैजा, पेचिश, लेप्टोस्पायरोसिस, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई तथा वेक्टरजनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी एन्सेफलाइटिस शामिल हैं। स्वास्थ्य राज्य विषय होने के कारण, आपदाओं के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के उपसमन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निगरानी कार्यक्रम है जो देश में रोगों की निगरानी करता है। आईडीएसपी सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। यह कार्यक्रम देश में बाढ़-संभावित रोगों सहित 50 से अधिक महामारी-संभावित रोगों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

आईडीएसपी (आईपीडी) के तहत एक अधिदेश के रूप में, निगरानी, प्रकोप का शीघ्र पता लगाना और निवारक कार्रवाई करना इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। एकत्र की गई जानकारी, प्रशिक्षित त्वरित कार्रवाई दल (आरआरटी) के माध्यम से रोग के प्रकोप का शीघ्र पता लगाने और शीघ्र कार्रवाई करने में राज्य के प्रधिकारियों की स्वास्थ्य संबंधी तैयारी में मदद करती है। वर्ष 2021 में, देश में रोग निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए, कार्यक्रम कागज-आधारित, समेकित और साप्ताहिक रिपोर्टिंग से एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) के माध्यम से कागज रहित, मामले-आधारित और लगभग वास्तविक समय रिपोर्टिंग पर स्थानांतरित हो गया है, जहाँ सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूचना प्रदान कर रहे हैं। यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों की सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी का एक एकल संचालन मंच प्रदान करता है।

(ग) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) सहित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। मोबाइल मेडिकल यूनिटों का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ, कठिन, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों तक निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक सेवाओं को पहुंचाना है, जिसमें प्रजनन शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच) सेवाएं शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ये सेवाएँ उपचार स्थल पर रोगी के लिए निःशुल्क हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एमएमयू हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रति वर्ष संबंधित राज्य की आवश्यकता के आधार पर पीआईपी (कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना) के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मद्देनजर राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत बाढ़-संभावित क्षेत्रों में जलवायु जन स्वास्थ्य तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा अपनाई है। इनमें निम्नलिखित उपाय हैं:

- दिशानिर्देश और रूपरेखा
  - o राज्यों को बाढ़ की घटनाओं के लिए जन स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें त्वरित आवश्यकता मूल्यांकन, महामारी-संभावित रोगों की निगरानी, और स्वास्थ्य प्रणाली योजना शामिल हैं।

- o एनसीडीसी द्वारा हरित और जलवायु रोधी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश (फरवरी 2023), विकसित किए गए जो अवरोधी अवसंरचना, ऊर्जा दक्षता, जल सुरक्षा और देखभाल की निरंतरता को बढ़ावा देते हैं।
- o आपातकालीन तैयारी चेकलिस्ट और खराब मौसम की घटनाओं (ईडब्ल्यूई) के लिए स्वास्थ्य सुविधा संबंधी तैयारी और कार्रवाई उपकरण, जिसमें सुविधा-स्तर की तत्परता, आवश्यक आपूर्ति, रेफरल योजना और तैयारी की ट्रैकिंग सुनिश्चित होती है।

- पूर्व चेतावनी और संकट की सूचना
  - राज्य और जिला नोडल अधिकारियों को आईएमडी द्वारा दैनिक मौसम बुलेटिन, बाढ़ पूर्वानुमान, और विशेष उष्णकटिबंधीय परिदृश्य का प्रसारण।
- क्षमता निर्माण
  - बाढ़ सहित जलवायु संबंधी घटनाओं पर राज्य और जिला नोडल अधिकारियों (एसएनओ/डीएनओ), ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और सामुदायिक जागरूकता
  - पोस्टर, ऑडियो-विज़ुअल, सोशल मीडिया अभियानों और बाढ़ सुरक्षा संबंधी युक्तियों सहित आईईसी सामग्री का प्रचार-प्रसार।
- अवरोधक अवसंरचना और योजना
  - स्वास्थ्य सुविधाओं का महत्वपूर्ण मूल्यांकन, बाढ़-रोधी पुनर्सज्जा (जैसे, ऊँचे प्लिंथ, बेहतर निकासी प्रणाली, रैंप और अतिरिक्त मंजिलें)।
  - जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसीएचएच) में एकीकृत अस्पताल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन योजनाएँ।
- अंतर-क्षेत्रीय समन्वय
  - आपदा योजना और कार्रवाई हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), आईएमडी, आईएनसीओआईएस, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और अन्य एजेंसियों के साथ औपचारिक सहयोग।
  - तैयारी की समीक्षा करने और स्वास्थ्य क्षेत्र की कार्रवाई में समन्वय के लिए जिला टास्क फोर्स का गठन।

इसके अतिरिक्त, मानसिक विकारों के बोझ को दूर करने के लिए भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) चला रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

(डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जा रही है।

आपदाओं के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाओं (एमएचपीएसएस) संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों को वर्ष 2023 में अद्यतन किया गया है, जिसका उद्देश्य तैयारी, उपशमन, कार्रवाई, बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहित आपदा के सभी चरणों में किए जाने वाले ठोस कार्यों और गतिविधियों का प्रावधान करना है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बेंगलुरु के सहयोग से आपदा के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों के लिए एक तत्काल मार्गदर्शिका के रूप में आपदा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के मॉड्यूल विकसित किए हैं।

******